सत्र वाद सं0– 958/2018
सनोखर थाना कांड संख्या–**125**/2018
राज्य बनाम् शंकर पासवान व एक अन्य
निर्णय दिनांक–13.07.2026

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–**III**
भागलपुर।

निर्णय दिनांक – 13.07.2026

सत्र वाद संख्या – **958**/2018

सनोखर थाना कांड संख्या–**125**/2018

अंतर्गत धारा – 307, 353, 332, 333, 147, 148, 149 भा0द0वि0

निबंधन संख्या – 958/2018

बिहार राज्य द्वारा सूचक प्रताप वीर कुमार, सहायक अवर निरीक्षक, सनोखर थाना, थाना–सनोखर, जिला–भागलपुर.....**सूचक**

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक :– श्री काशीनाथ मिश्रा।

1. शंकर पासवान, उम्र–70 वर्ष, पिता स्वर्गीय होरिल पासवान,
2. रूशमा देवी, उम्र–65 वर्ष, पति–गिरीश पासवान, दोनों–सा0–भिरौन्धा, थाना–सनोखर, जिला–भागलपुर।.....**अभियुक्तगण**

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री अजय कुमार पांडेय

घटना की तिथि	–
प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि	15.08.2018
आरोप पत्र की तिथि	11.11.2018
आरोप गठन की तिथि	06.02.2019
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	29.08.2022
तिथि जिसके द्वारा निर्णय हेतु रखा गया	03.07.2026
निर्णय की तिथि	13.07.2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	13.07.2026

सत्र वाद सं0– 958/2018

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सनोखर थाना कांड संख्या–**125**/2018
राज्य बनाम् शंकर पासवान व एक अन्य
निर्णय दिनांक–13.07.2026

अभियुक्त का क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत प्राप्ति की तिथि	आरोप अंतर्गत धारा	दोषमुक्त/दोषसिद्ध	सजा की अवधि	विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि
1.	शंकर पासवान	–	–	307, 353, 332, 333, 147, 148, 149 भा0द0वि0	दोषसिद्ध	–	–
2.	रूशमा देवी	–	–	307, 353, 332, 333, 147, 148, 149 भा0द0वि0	दोषसिद्ध	–	–

क. अभियोजन गवाह :–

क्रम सं0	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सीय गवाह, पंच, इत्यादि)
PW1	खोखा पासवान	अन्य साक्षी
PW2	प्रताप वीर कुमार	सूचक
PW3	डाक्टर संजय कुमार सिंह	चिकित्सक
PW4	जर्नादन मिश्रा	अनुसंधानकर्ता

ख. बचाव पक्ष के गवाह (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सीय गवाह, पंच, इत्यादि)
	शून्य	

ग. न्यायालय गवाह (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सीय गवाह, पंच, इत्यादि)
	शून्य	

अभियोजन प्रदर्श :– शून्य

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	1	लिखित आवेदन का लिखावट एवं हस्ताक्षर
2.	2	जख्म प्रतिवेदन का लिखावट एवं हस्ताक्षर
3.	2/1	जख्म प्रतिवेदन का लिखावट एवं हस्ताक्षर
4.	1/1	लिखित आवेदन पर कांड का पृष्ठांकन
5.	3	औपचारिक प्राथमिकी पर हस्ताक्षर
6.	4	आरोप पत्र का लिखावट एवं हस्ताक्षर

बचाव पक्ष प्रदर्श (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण

सत्र वाद सं0– 958/2018

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सनोखर थाना कांड संख्या–**125**/2018
राज्य बनाम् शंकर पासवान व एक अन्य
निर्णय दिनांक–13.07.2026

	शून्य	

न्यायालय प्रदर्श (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
	शून्य	

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण शंकर पासवान तथा रूशमा देवी का विचारण भा0द0वि0 की धारा 307, 353, 332, 333, 147, 148, 149 के आरोपों के लिए किया गया है कि सूचक प्रताप वीर कुमार ने अपने लिखित आवेदन में कहा है कि दिनांक 15.08.2018 को जब मैं अपने गश्ती दल के साथ दिवा गश्ती करते हुए महादेव स्थान 3.30 बजे पहुॅचा तो सूचक को सनोखर थानाध्यक्ष के द्वारा ग्राम भिरौन्धा में बजय पासवान एवं सुभाष पासवान के बीच विवाद होने की बात बताने पर दोनो पक्षों को समझा बुझाकर गश्ती करते हुए महादेव स्थान 5.00 बजे संध्या पहुॅचा तो पुनः थानाध्यक्ष के द्वारा सूचना दिया गया कि भिरौन्धा में उपरोक्त दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो रहा है। फिर महादेव स्थान से प्रस्थान कर स्थानीय चौकीदार खोखा पासवान एवं बल के साथ 5.30 बजे संध्या में ग्राम विरौन्धा भोला पासवान के घर के पास पहुॅचा तो अचानक एक मत होकर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण अपने–अपने हाथ में हरवे हथियार से हमला कर दिया जिससे सैफ के जवान जमीन पर गिर गए तो गिरे अवस्था में लाठी एवं खंती से सिर पर प्रहार किया जिससे सिर फट गया और भोला राम पर गिरीश पासवान ने जान मारने के नियत से सिर पर प्रहार किया जो छिटककर कान पर लगा जिससे कान फट गया। अभियुक्तों की पहचान स्थानीय चौकीदार एवं ग्रामीणों ने किया। अभियुक्तगण ने पुलिस को गाली–गलौज कर रहे थे। ग्रामीणों को एकत्रित होते देख सभी अभियुक्तगण भाग गए। अभियुक्तों के द्वारा सरकारी काम में बांधा पहुॅचा गया। जख्मी रूशमा देवी, विजय पासवान तथा शंकर पासवान को ईलाज कराने हेतु थाना लाया।

2. सूचक प्रताप वीर कुमार के द्वारा दिनांक–15.08.2018 को लिखित आवेदन दिया गया जिसके आधार पर सनोखर थाना कांड संख्या–125/2018 दिनांक–15.08.2018 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 307, 353, 332, 333 भा0द0वि0 के तहत पंजीकृत किया गया। लिखित आवेदन के आलोक में अभियोजन का संक्षेप में वाद यह है कि दिनांक 15.08.2018 को जब मैं अपने गश्ती दल के साथ दिवा गश्ती करते हुए महादेव स्थान 3.30 बजे पहुॅचा तो सूचक को सनोखर थानाध्यक्ष के द्वारा ग्राम भिरौन्धा में बजय पासवान एवं सुभाष पासवान के बीच विवाद होने की बात बताने पर दोनो पक्षों को समझा बुझाकर गश्ती करते हुए महादेव स्थान 5.00 बजे संध्या पहुॅचा तो पुनः थानाध्यक्ष के द्वारा सूचना दिया गया कि भिरौन्धा में उपरोक्त दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो रहा है। फिर महादेव स्थान से प्रस्थान कर स्थानीय चौकीदार खोखा पासवान एवं बल के साथ 5.30 बजे संध्या में ग्राम विरौन्धा भोला पासवान के घर के पास पहुॅचा तो अचानक एक मत होकर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण अपने–अपने हाथ में हरवे हथियार से हमला कर दिया जिससे सैफ के जवान जमीन पर गिर गए तो गिरे अवस्था में लाठी एवं खंती से सिर पर प्रहार किया जिससे सिर फट गया और भोला राम पर गिरीश पासवान ने जान मारने के नियत से सिर पर प्रहार किया जो छिटककर कान पर लगा जिससे कान फट गया। अभियुक्तों की पहचान स्थानीय चौकीदार एवं ग्रामीणों ने किया। अभियुक्तगण ने पुलिस को गाली–गलौज कर रहे थे। ग्रामीणों को एकत्रित होते देख सभी अभियुक्तगण भाग गए। अभियुक्तों के द्वारा सरकारी काम में बांधा पहुॅचा गया। जख्मी रूशमा देवी, विजय पासवान तथा शंकर पासवान को ईलाज कराने हेतु थाना लाया।

सत्र वाद सं0– 958/2018

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सनोखर थाना कांड संख्या–**125**/2018
राज्य बनाम् शंकर पासवान व एक अन्य
निर्णय दिनांक–13.07.2026

3. अनुसंधानोंपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी नामित अभियुक्त शंकर पासवान तथा रूशमा देवी उर्फ रेशमी देवी के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 323, 307, 353, 332, 333 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या–98/2018 दिनांक–11.11.2018 को विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर के न्यायालय में समर्पित किया गया जिसपर विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर द्वारा अपराध का संज्ञान दिनांक 19.11.2018 को लिया गया तथा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर द्वारा दिनांक 12.12.2018 को उपस्थित अभियुक्त शंकर पासवान तथा रूशमा देवी उर्फ रेशमी देवी के विरूद्ध वाद को सत्र न्यायालय को दौरा सुपुर्द किया गया। स्थानांतरण के क्रम में अभिलेख विचारण एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

4. अभियुक्तों को भा0द0वि0 की धारा 307, 353, 332, 333, 147, 148, 149 के आरोपों के लिए दिनांक–06.02.2019 को आरोप गठन करके हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसे अभियुक्तों द्वारा इंकार किया गया एवं वाद में विचारण का दावा किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत की गई।

5. अभियोजन साक्ष्य बंद करने के पश्चात् अभियुक्त शंकर पासवान तथा रूशमा देवी का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत लेखबद्ध किया गया जिसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया है तथा कहा है कि झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष की ओर से सफाई में कोई भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

मंतव्य

7. प्रस्तुत वाद में अभियोजन के तरफ से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कुल चार साक्षियों का परीक्षण कराया गया है।

अभियोजन साक्षी सं0–01 खोखा पासवान
अभियोजन साक्षी सं0–02 प्रताव वीर कुमार
अभियोजन साक्षी सं0–03 डाक्टर संजय कुमार सिंह
अभियोजन साक्षी सं0–04 जर्नादन मिश्रा

8. अभियोजन के उपर यह दायित्व है कि अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करे। इस परिपेक्ष्य में **साक्षी सं0–1 खोखा पासवान** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि घटना 2018 को करीब 05 बजे शाम की है। दिन याद नहीं है। पुलिस के साथ ग्राम भिरौंधा में मारपीट हुआ था। मारपीट के क्रम में भोला राम, हंसा सिंह दोनों सैप के जवान को चोट लगी थी। दोनों सैप के जवान को लाठी–डंडा से मारा गया था। दोनों जवान के साथ मारपीट करने वाले का नाम शंकर पासवान, गिरीश पासवान, सुबोध पासवान, झब्बु पासवान एवं अन्य गॉव के लोग थे। उपर्युक्त लोगों का नाम पुलिस एवं अनुसंधानकर्ता को बता दिया था। घटना करने वाले सभी लोगों को पहचानता हूँ। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त शंकर पासवान को भी पहचानता हूँ।

9. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–2 प्रताव वीर कुमार** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि यह घटना 15.08.2018 को समय 3.30 बजे अपराहन् की है। उस समय मैं सनोखर थाना में स0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित था। मैं

सत्र वाद सं0– 958/2018

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सनोखर थाना कांड संख्या–**125**/2018
राज्य बनाम् शंकर पासवान व एक अन्य
निर्णय दिनांक–13.07.2026

अपने पुलिस बल के साथ सुबह 11 बजे गश्ती में निकला था तो गश्ती करते हुए महादेव स्थान पहुॅचे तो मुझे बड़ा बाबु से वहॉ सूचना मिली कि भिरौंधा गॉव में ब्रजेय पासवान एवं सुभाष पासवान के बीच झगड़ा हो रहा है उसे जाकर सुलझा दिजिए। हमलोग भिरौंधा गॉव पहुॅचे तो उपरोक्त दोनों बीच झगड़ा हो रहा था तो मैं समझा बुझाकर गश्ती में पुनः वापस हो गए। फिर पुनः बड़ा बाबु का फोन आया शाम में पॉच बजे तो फिर पुलिस बल एवं चौकीदार लेकर भिरौंधा पहुॅचे। भोला पासवान के घर के पास पहुॅचा तो विजय पासवान जख्मी हालत में घटना स्थल पर गिरा हुआ था तो गॉव में पुरा पथराव हो रहा था एवं कुछ पुलिस बल जख्मी भी हुए। गॉव के सुषमा देवी एवं शंकर पासवान जख्मी हो गए थे। सैप जवान भोला राय एवं हंसा सिंह भी जख्मी हुए थे। सारे जख्मी को लेकर थाना आया एवं उसके बाद ईलाज कराने हेतु कहलगॉव अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। ईलाज कराकर फिर से थाना लाया गया। जख्मी लोगों में से चिन्हीत करके सुषमा देवी, शंकर पासवान एवं विजय पासवान को जेल भेज दिया गया। झगड़ा करने में गिरीश पासवान, शंकर पासवान, सुबोध पासवान, बीरबल पासवान, डब्लू पासवान, निवास पासवान, प्रभाष पासवान, विभाष पासवान, सुभाष पासवान, शैलेन्द्र पासवान, अलोक पासवान, झप्पु पासवान, पिंकी देवी, मींता देवी कुल प्रन्दह आदमी थे। सारे लोगों का पहचान चौकीदार के द्वारा किया गया। मैं इस केस का सूचक हूॅ। यह केस मेरे द्वारा लिखित आवेदन पर हुआ है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूॅ, जिसे प्रदर्श–1 अंकित किया जाता है। जिन लोगों को मैं गिरफ्तार किया था आज न्यायालय में उपस्थित रहता तो देखकर पहचान लेता।

10. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–3 डाक्टर संजय कुमार सिंह** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि I was posted as Medical Officer, SDH, Kahalgaon, Bhagalpur on 15.08.2018.

I examined Hansa Singh, aged about 52 years, S/o Late Sardar Sunil Singh, Village-Mehniyan, P.S. Jangara, District- Amritsar (Punjab) present address- Sanokhar Thana on 15.08.2018 at 9.30 P.M. and found following injuries on his body:-

i. 2”x 1/8” x skin deep lacerated wound of forearm.

MI- Black mole below left ear.

Age of injury:- Within 24 hours.

NI-Simple caused by hard and blunt object.

2. I examined Bhola Ray, aged about 53 years, S/o Late Gani Lal Roy, Village- Baiyapur, P.S. Manir, District- Bhagalpur on 15.08.2018 at 9.20 P.M. and found following injuries on his body:-

i. 1/2” x 1/8” abrasion on posterior aspect pinna of right ear.

ii. Diffuse swelling on right forearm.

MI- Black mole on nose.

Age of injury:- Within 6 hours.

NI-Simple caused by hard and blunt substance.

यह दोनों जख्म प्रतिवेदन मेरे द्वारा तैयार किया गया है जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानता हूॅ, इसे क्रमशः प्रदर्श– 2, 2/1 अंकित किया जाता है।

सत्र वाद सं0– 958/2018

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सनोखर थाना कांड संख्या–**125**/2018
राज्य बनाम् शंकर पासवान व एक अन्य
निर्णय दिनांक–13.07.2026

11. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–4 जर्नादन मिश्रा** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि मैं दिनांक 15.08.2018 को सनोखर थाना में पु0अ0नि0 के रूप में पदस्थापित था। उस दिन सनोखर थाना कांड संख्या–125/18 के अनुसंधान का भार थानाध्यक्ष द्वारा ग्रहण किया था। अनुसंधान भार ग्रहण करने के बाद लिखित आवेदन का अवलोकन कर कांड दैनिकी में अंकित किया। वादी का पुनः ब्यान लिया। चौकीदार खोखा पासवान का ब्यान लिया। घटनास्थल का निरीक्षण किया, इस कांड का घ टनास्थल सनोखर थाना से छह कि0मी0 पूरब ग्राम विरौंधा स्थित भोली पासवान के घर के पास सड़क पर जो उत्तर से दक्षिण दिशा में है वहीं पर वादी द्वारा घटना घटित होने की बात बताई गई है, जिसके पूरब में भोला पासवान का फुस का घर, पश्चिम में राम प्रसाद एवं छत्तीस पासवान का पक्का घर, दक्षिण में ग्रामीण पक्की सड़क, उत्तर में ग्रामीण पक्की सड़क है। साक्षी हंसा सिंह व भोला राम का ब्यान लिया। जख्म प्रतिवेदन प्राप्त किया। अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास कंडिका 40 में अंकित किया। साक्षी सरिता देवी का ब्यान लिया। कांड को सत्य पाते हुए अभियुक्त रूशमा देवी व शंकर पासवान के विरूद्व आरोप पत्र संख्या–98/18 दिनांक 11.11.2018 धारा–147, 148, 323, 307, 353, 332, 333, 149 भा0द0वि0 के अंतर्गत समर्पित किया और शेष 13 अभियुक्तों के विरूद्व पूरक अनुसंधान जारी रखा। सूचक के आवेदन पत्र का पृष्ठांकन सनोखर थानाध्यक्ष दिलीप प्रसाद सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानता हूँ, जिसे प्रदर्श–1/1 अंकित किया जाता है। कांड के औपचारिक प्राथमिकी थाना लेखक द्वारा भरा गया है तथा इस पर तत्कालीन सनोखर थानाध्यक्ष दिलीप सिंह का हस्ताक्षर है जिसे मैं पहचानता हूँ, जिसे प्रदर्श–3 अंकित किया जाता है। यहीं वह आरोप पत्र संख्या–98/18 दिनांक 11.11.2018 है जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानता हूँ, जिसे प्रदर्श–4 अंकित किया जाता है।

12. विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य में तारतम्यता एवं बल है। एक–दूसरे के विरोधाभाषी नहीं है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों का प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान किसी ऐसे तथ्य का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जिससे साक्षियों के साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सम्पूर्ण युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित कर दिया है। अतएव, अभियुक्तों को आरोपित अंतर्गत धारा 307, 353, 332, 333, 147, 148, 149 भा0द0वि0 के तहत दोषसिद्ध किया जाय।

13. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता, ग्राहयता एवं कांड की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहे है कि वास्तविक तथ्य यह है कि ग्रामीणों के बीच में आपस में विवाद चल रहा था। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों से अवैध धन की वसुली करना चाह रहे थे और जब अभियुक्तगण के द्वारा रूपया नहीं दिया गया तो सूचक ने एक झूठी और मनगढ़त कहानी बनाकर मुकदमा कर दिया। यही कारण था कि अभियोजन की ओर से एक भी स्वतंत्र साक्षी साक्ष्य देने उपस्थित नहीं हुए और ना ही जख्मी ही न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य दिए है जबकि जख्मी के साक्ष्य हेतु न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिया गया। किन परिस्थितयों में अभियोजन पक्ष जख्मीयों को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराए उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है।

14. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अभियोजन साक्षी संख्या–1 खोखा पासवान ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि शंकर पासवान को बीस साल से पहचानता हूँ। शंकर पासवान का घर विरौंधा है। शंकर पासवान को माथे पर चोट लगी थी और उसे किसने मारा, भीड़ के कारण मैं नहीं देख पाया। भीड़ करीब सौ आदमी का था। किसने किसको मारा मैं यह नहीं देख पाया। अभियोजन साक्षी संख्या–2 प्रताप वीर कुमार ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि दूरभाष पर बड़ा बाबु ने जो कहा था कि मामला भिरौंधा गॉव का है

सत्र वाद सं0– 958/2018

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सनोखर थाना कांड संख्या–**125**/2018
राज्य बनाम् शंकर पासवान व एक अन्य
निर्णय दिनांक–13.07.2026

उसे सुलझा दो जो दूसरी घटना शाम की है यह वहीं घटना है जो सुलझा कर आया था। पहली बार सुलझाने के वक्त कोई पथराव नहीं हुआ था। अभियोजन साक्षी संख्या–3 डाक्टर संजय कुमार सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उक्त दोनों जख्म गिरने से भी हो सकता है। अभियोजन साक्षी संख्या–4 जर्नादन ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि अनुसंधान के दरम्यान घटनास्थल के चौहद्दीदार का ब्यान नहीं लिया हूँ। उस ग्राम के किसी भी स्वतंत्र साक्षी का ब्यान मैंने अनुसंधान के दौरान नहीं लिया। इस केस का कांउटर केस भी हुआ था लेकिन उसका वर्णन मैंने इस केस के कांड दैनिकी में नहीं किया है। मैंने इस मुकदमें से संबंधित कोई भी दस्तावेज किसी जगह से प्राप्त नहीं किया। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान मैंने कहीं पर किसी भी जगह खून गिरा हुआ नहीं देखा। किसी साक्षी ने भी मुझे कहीं पर खून का निशान या खून निकलता हुआ नहीं दिखाया था।

15. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विवेचनाधिकारी द्वारा घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुरूप संपुष्टि कारक साक्ष्य न देकर बल्कि विरोधाभासी साक्ष्य दिया है और उनके द्वारा गवाह के रूप में किसी चौहद्दी के लोगों का ब्यान नहीं लिया है। विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का मैप भी नहीं बनाया गया है।

16. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अभियोजन की ओर से चिकित्सा अधिकारी को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है और ना ही जख्म प्रतिवेदन को साबित कराकर प्रदर्श अंकित कराया गया है। चिकित्साधिकारी को परीक्षित न कराया जाना और जख्म प्रतिवदेन को साबित न कराया जाना घटना स्वयं संदेहास्पद हो जाती है।

17. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि साक्षियों ने घटना के अनुरूप संपुष्ट कारक साक्ष्य न देकर बल्कि विरोधाभाषी साक्ष्य दिया है। साक्षियों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुरूप भी साक्ष्य नहीं दिया है बल्कि विरोधाभाषी साक्ष्य दिया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्व लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा–307, 353, 332, 333, 147, 148, 149 के तहत संपूर्ण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाय।

18. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्व धारा–307, 353, 332, 333, 147, 148, 149 भा0द0वि0 के तहत आरोप का गठन किया गया है। जहॉ तक धारा–148 भा0द0वि0 का प्रश्न है इसके संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य तथा दस्तावेजी चिकित्सीय साक्ष्य यानि जख्म प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि जख्म कठोर एवं भोथरे पदार्थ से कारित किया जाना बताया गया है, किसी धारदार हथियार से जख्मीयों पर हमला नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में धारा–148 भा0द0वि0 के आवश्यक अवयव की पूर्ति नहीं होता है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्व लगाए गए धारा–148 भा0द0वि0 संपूर्ण युक्तियुक्त से परे साबित नहीं सका है। अतएव अभियुक्तगण को धारा–148 भा0द0वि0 से दोषमुक्त किया जाता है। जहॉ तक धारा–307 भा0द0वि0 का प्रश्न है इसके संदर्भ में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण इस प्रकार का हमला नहीं किए है कि जिससे जख्मीयों के जान मारने का प्रयत्न किया गया हो बल्कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी संख्या–3 डाक्टर संजय कुमार सिंह ने अपने साक्ष्य में कहा है कि जख्म साधारण प्रकृति का है और कठोर एवं भोतरे पदार्थ से कारित किया गया है। जख्मीयों के जख्म के अवलोकन से प्रतीत होता है कि जख्म किसी नाजूक अंग पर नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा–307 भा0द0वि0 के आवश्यक अवयव की पूर्ति नहीं होती है अतएव अभियुक्तगण के विरूद्व धारा–307 भा0द0वि0 अभियोजन पक्ष संपूर्ण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है बल्कि

सत्र वाद सं0– 958/2018

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सनोखर थाना कांड संख्या–**125**/2018
राज्य बनाम् शंकर पासवान व एक अन्य
निर्णय दिनांक–13.07.2026

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण द्वारा हाथ और कान के पास चोट कठोर एवं भोथरे पदार्थ से कारित किया गया है जो जख्म साधारण प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व लगाए गए धारा 323/149 संपूर्ण युक्तियुक्त से परे साबित कर दिया है। अतएव अभियुक्तगण के विरूद्व लगाए गए धारा– 323/149 भा0द0वि0 के अंतर्गत दोषसिद्व किया जाता है। जहॉ तक धारा–332 तथा 333 भा0द0वि0 के संबंध में अभियोजन की ओर परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत कारित करने के लिए स्वेच्छाया उपहति या घोर उपहत कारित किया गया हो। यद्वपि अभियुक्तगण के द्वारा लोक सेवक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व लगाए गए अंतर्गत धारा–332/149 एवं 333/149 संपूर्ण युक्तियुक्त से परे साबित नहीं कर सका है। बल्कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा–353 भा0द0वि0 संपूर्ण युक्तियुक्त से परे साबित कर दिया है। अतएव अभियुक्तगण को धारा 353 भा0द0वि0 के तहत दोषसिद्व किया जाता है। जहॉ तक धारा–147 भा0द0वि0 का प्रश्न है इसके संदर्भ में अभियुक्तगण आपस में बलवा कर रहे थे उसी के संदर्भ में पुलिस बल के द्वारा समझाने–बुझाने गए थे जिसमें अभियुक्तगण एक उद्वेश्य बनाकर पुलिस बल पर हमला कर दिए। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व लगाए धारा–147 भा0द0वि0 संपूर्ण युक्तियुक्त से परे साबित कर दिया है। अतएव अभियुक्तगण को धारा–147 भा0द0वि0 में दोषसिद्व किया जाता है। दोषसिद्व व्यक्ति जमानत पर है। उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित करते हुए दोषसिद्व व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में लिया जाता है।

ह0/–
(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर
दिनांक–13.07.2026

ह0/–
(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर
दिनांक–13.07.2026

सत्र वाद सं0– 958/2018

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सनोखर थाना कांड संख्या–**125**/2018
राज्य बनाम् शंकर पासवान व एक अन्य
निर्णय दिनांक–13.07.2026

सजा के बिन्दू पर सुनवाई

13.07.2026

दोषसिद्ध व्यक्ति की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि दोषसिद्ध व्यक्ति का यह प्रथम अपराध है। दोषसिद्ध व्यक्ति के विरूद्व अभिलेख पर पूर्व दोषसिद्धी का कोई साक्ष्य नहीं है। दोनो दोषसिद्ध व्यक्ति काफी वृद्व है और एक महिला एवं एक पुरूष है। दोषसिद्व व्यक्ति की आयु एवं लिंग को ध्यान में रखते हुए आपराधिक परिविक्षा अधिनियम के तहत डाट–फटकार/भर्त्सना देकर छोड़ दिया जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि दोषसिद्व व्यक्ति द्वारा सामान्य आशय से पुलिस बल के साथ मारपीट किया गया। दोषसिद्व व्यक्ति द्वारा कारित कृत सामाज के विरूद्व और काफी गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में दोषसिद्व व्यक्ति के दंड पर सहानुभुति पूर्वक विचार न करते हुए कठोर से कठोर दंड दिया जाय, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाय।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि दोषसिद्ध व्यक्ति को धारा–147, 323/149, 353/149 भा0द0वि0 के तहत दोषी पाया गया है। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि दोषसिद्व व्यक्ति के विरूद्व पूर्व से दोषसिद्वि का साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। दोषसिद्व व्यक्ति का यह प्रथम अपराध है। दोषसिद्व व्यक्ति के आयु, लिंग, पारिवारिक स्थिति एवं मुकदमें की गंभीरता को देखते हुए दोषसिद्व व्यक्ति को आपराधिक परिविक्षा अधिनियम की धारा–3 के तहत डाट–फटकार/भर्त्सना देकर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

दोषसिद्व व्यक्ति शंकर पासवान तथा रूशमा देवी को आपराधिक परिविक्षा अधिनियम की धारा–3 डाट–फटकार/भर्त्सना देकर छोड़ा जाता है। दोषसिद्व व्यक्ति इस आशय का बन्ध पत्र दाखिल करेंगे कि यदि सूचक अपीलीय न्यायालय में अपील दाखिल करता है तो दोषसिद्व व्यक्ति अपीलीय न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

निर्णय समाप्ति के पश्चात यह समीचीन प्रतीत होता है कि न्यायालय यह धारित करे कि मुकदमें में पीड़ित पक्ष कौन है ? प्रस्तुत वाद में सूचक पुलिस वाले है। अभियोजन के द्वारा जख्मीयों को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भागलपुर को प्रतीकर की राशि की अनुशंसा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी, भागलपुर को भेजे। तत्पश्चात्, अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लेखापित, संशोधित
एवं हस्ताक्षरित कर आज उभयपक्ष की उपस्थिति में सुनाया गया।

ह0/–
(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर
दिनांक–13.07.2026

ह0/–
(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर
दिनांक–13.07.2026

निर्णय की तिथि	13.07.2026
तिथि जिसके द्वारा निर्णय हेतु रखा गया	03.07.2026
अपलोड की तिथि	15.07.2026
किसके द्वारा अपलोड किया गया	प्रीतम कुमार, डीपोजिशन राइटर